मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः **27.03.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत तथा 'मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0' के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म के अभियोग में आरोपी को करायी गई 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 12000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी "पीयूष मोर्डिया" के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹ 12000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः15.10.2019 को थाना अदलहाट पर एक व्यक्ति द्वारा नामजद अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी परौखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगाने एवं दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना अदलहाट पर मु0अ0सं0-185/2019 धारा 363,366,376,506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत तथा 'मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0' के क्रम में उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना अदलहाट पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सनातन कुमार, विवेचक-निरीक्षक राजेश कुमार बर्मा, कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी पंकज कुमार व महिला आरक्षी विजेता साहू तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी प्रदीप द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप मा0न्यायालय विशेष न्यायाधीश(पाक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, मीरजापुर-सुरेन्द्र कुमार राय द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त प्रदीप चौहान पुत्र पप्पू चौहान निवासी परौखा थाना अलीनगर जनपद चन्दौली को अन्तर्गत धारा 376 भादवि सपठित धारा-4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम व 363,366 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 12000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।